


# Form no III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम निम्बाहेडा

श्री चंद्रशेखर पिता हरीशचंद्र बनाम तहसीलदार निम्बाहेडा  
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र मु.न. 133 सन् 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम
23.05.2024	<p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण व परोकार सरकार उपस्थित। वकीलप्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण की बहस में प्रकट तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/-रु फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं कि प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की भूमि से लगे हुये सभी पड़ोसी खातेदारों को सूचना-पत्र जारी करते हुये, उनकी उपस्थिति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर, प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा ग्राम भुवानियाखेड़ी पटवार हल्का बांगेडा घाटा तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 47 के आराजी नंबर 161 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, आराजी नंबर 162 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, आराजी नंबर 166 रकबा 0.0300, आराजी नंबर 210 रकबा 0.0900 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.5900 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा</b></p>	

